8

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग पर दिनांक 17-9-1983 को 10-30 बजे पूर्वान्ह में हुई उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1983 की षष्ठम बैठक का कार्यवृत्त

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

(1)	श्री बी0जे0बोदावाजी		अध्यक्ष
(2)	श्री माता प्रसाद, एम0एल0सी0		सदस्य
(3)	श्रीमती दीपा कौल		सदस्या
(4)	श्री नौनिहाल सिंह		सदस्य
(5)	श्री राम पाल सिंह		सदस्य
(6)	श्री जे0पी0दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0	सदस्य
(7)	श्रीमती मंजुलिका गौतम	विशेष सचिव, आवास (आवास सचिव की प्रतिनिधि)	सदस्या
(8)	श्री प्रेम नारायन	संयुक्त सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
(9)	श्री श्याम सुरी	आवास आयुक्त	सदस्य

बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये:-

क्रमांक	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1	2	3	4
1-	दिनांक 16-7-1983 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	षष्ठम/(1)/83	परिषद की दिनांक 16-7-1983 को हुई बैठक के कार्यवाही की पुष्टि निम्न संशोधन के साथ की गयी:- मद सं0-2 के क्रमांक-6 की 10वीं पंक्ति में ''दिया'' के स्थान पर ''किया'' शब्द लिख दिया जाये।
2-	परिषद की बैठक दिनांक 16-7-1983 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या।	षष्ठम/(2)/83	परिषद व्दारा दिनांक 16-7-1983 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित आख्या की विस्तृत समीक्षा की गयी तथा सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-
			1- सहायक निदेशक(प्रचार)के पदनाम को उप आवास आयुक्त(सं0प्र0 एवं प्रचार)के पदनाम में परिवर्तित करने के संबंध में विस्तार से विचार विमर्श किया गया। यह पाया गया कि वर्तमान समय में प्रचार का कार्य एक सहायक आवास आयुक्त देख रहे हैं और यह व्यवस्था संतोषजनक ढंग से चल रही है। निर्णय लिया गया कि सहायक निदेशक(प्रचार)के पद को फिलहाल भरने की आवश्यकता नहीं है और वर्तमान व्यवस्था चालू रखी जाये।
			2- कानपुर एवं वाराणसी इकाईयों के लिये विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारियों के पदों के सृजन के संदर्भ में विशेष सचिव, आवास ने यह आश्वासन दिया कि दोनों पद शीघ्र ही सृजित करा दिये जायेंगें और उन पर उपयुक्त अधिकारियों की तेनाती करायी जायेगी।

अध्यक्ष,
... परिषद

उ0 प्र0 आ

1	2	3	4

3- मुरादाबाद एवं अलीगढ़ में पुलिस कर्मियों द्वारा परिषद के आवास गृहों पर किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण के सम्बन्ध में यह बताया गया कि सी0आर0पी0 ने मुरादाबाद में परिषद के आवास खाली कर दिये है तथा अलीगढ़ के सम्बन्ध में आवास आयुक्त ने पूर्ण विवरण मुख्य सचिव को भेज दिया है। निर्णय लिया गया कि मुख्य सचिव के स्तर पर प्रस्तावित बैठक शीघ्र कराकर इस समस्या का निराकरण कराया जाये।

4- परिषद की इन्दिरा नगर योजनान्तर्गत 80 मध्यम आय वर्ग एम0ई0/75 प्रकार के भवनों के प्राविधिक परीक्षण के सम्बन्ध में आवास आयुक्त सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता से संपर्क कर उनकी आख्या शीघ्र प्राप्त कर परिषद के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

5- परिषद द्वारा निर्मित कालोनीज़ को स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में प्रत्येक कालोनीज़ से सम्बन्धित विस्तृत तथ्यात्मक टिप्पणी तैयार की जाय एवं अलग अलग पत्रावली खोली जाय। इस कार्य में पर्याप्त विलम्ब हो चुका है। अब इसे शीघ्र पूर्ण किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद की उन कालोनीज़ में जो किसी स्थानीय निकायों के कार्यक्षेत्र में आती हैं शासन से अनुरोध किया जाय कि वह परिषद अधिनियम की धारा-83 के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकरण के अधिकार परिषद/आवास आयुक्त को शीघ्र प्रदान करने की व्यवस्था करायें। ताकि परिषद/आवास आयुक्त उन कालोनीज़ में स्थानीय निकायों के अधिकारों का प्रयोग कर तत्सम्बन्धी कर्तव्यों का निबहन कर सकें। यह व्यवस्था कालोनीज़ के सम्बन्धित स्थानीय निकायों को विधिवत् हस्तान्तरण तक चलती रहेगी।

यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद की उन कालोनीज़ में जो किसी स्थानीय निकायों के कार्यक्षेत्र में नहीं आती हैं टाउन एरिया/नोटिफाइड एरिया गठित करने की कार्यवाही शासन से करायी जाये।

6- परिषद लेखो के समायोजन तथा मिलान की बहुत दिनों से लम्बित कार्यवाही के संदर्भ में विस्तार से विचार विमर्श किया गया। परिषद को अवगत कराया गया कि वर्ष-1976-77 तथा 1977-78 के परिषद कोष के विनियोजन की पत्रावलियां न मिलने के कारण कठिनाई हो रही है। यह भी बताया गया कि उक्त वर्षो के एतदसम्बन्धी विवरण प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं और उनके अप्राप्त होने के संबंध में उत्तरादायित्व का निर्धारण भी शीघ्र संभव नहीं हो पा रहा है। निर्णय लिया गया कि इस संदर्भ में जो जांच पहले हुई है उसका विवरण परिषद की अगली बैठक में रखी जाये जिससे यह देखा जा सके कि क्या इस गंभीर अनियमितता के लिए सम्बन्धित अधिकारियों/ कर्मचारियों पर दायित्व निर्धारित करने का पूर्ण प्रयास किया गया है अथवा नहीं।

यह भी निर्णय लिया गया कि पूंजीगत खाते के मिलान का कार्य युद्ध स्तर पर कराया जाय और विभिन्न बैंकों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके पूर्ण विवरण प्राप्त किये जायें और यदि आवश्यक हो तो आवास आयुक्त के स्तर पर बैठक कराकर इस कार्य को बिना और विलम्ब किये समाप्त कराया जाये।

7- आगरा की कमला नगर आवासीय योजना में ग्राम-लश्करपुर की भूमि के सम्बन्ध में परिषद को अवगत कराया गया कि शासन स्तर से मुख्य सचिव ने एक पत्र आयुक्त, आगरा मंडल को भेजा है और उनसे अनुरोध किया है कि इस मामले में अपने स्तर पर बैठक बुलाकर समस्या का निराकरण करायें। निर्णय

1	2	3	4

लिया गया कि आयुक्त आगरा मंडल के स्तर पर इस समस्या का शीघ्र निराकरण करा कर परिषद को अवगत कराया जाये।

8- उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम-1965 में प्रस्तावित संशोधनों की एक संहत सूची अध्यक्ष, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत की जाय ताकि वे इसे पुनरीक्षित कर परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत कर सकें।

9- पिथौरागढ़, रानीखेत, हरिद्वार, मोदीनगर, शाहजहांपुर तथा काशीपुर नगरों में परिषद की योजना चलाने के लिये क्षेत्रीय कार्यालय से प्रस्ताव प्रस्तुत करने में हो रहे विलम्ब पर खेद प्रकट किया गया और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक दशा में अगली बैठक में इन नगरों से सम्बन्धित धारा-28 के प्रस्ताव अवश्य प्रस्तुत किये जायें।

10- प्रशासनिक व्यय में कटौती किये जाने के सम्बन्ध में प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर एवं वर्क्स इक्वामिनर तथा ज्येष्ठ लेखाधिकारी द्वारा प्रस्तुत संयुक्त प्रस्ताव पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर का सुझाव था कि विभागीय निर्माण इकाईयों को कार्यखण्डों में परिवर्तित कर दिया जाय। इस सम्बन्ध में अलग से ही एक प्रस्ताव आया है। इस विषय पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ और निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में एक उप समिति गठित कर दी जाये जिसके संयोजक प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर एवं वर्क्स इक्वामिनर होंगे और सदस्यगण श्री जे0पी0 दुबे, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0श्रीमती मैत्रेयी गौतम, विशेष सचिव, आवास (आवास सचिव की प्रतिनिधि), श्री राम पाल सिंह, परिषद सदस्य, श्री प्रेम नारायण, संयुक्त सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि) होंगे। यह समिति विभागीय निर्माण इकाईयों को कार्यखण्ड में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में दिये गये सुझावों पर समस्त पहलुओं से विचार करके अपनी रिपोर्ट परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत करेगी।

सहायक लेखाकारों के कार्य के मापदंड के विषय में आवास आयुक्त ने कहा कि वह सम्पत्ति प्र0अ0 की अगली बैठक में उनसे भी विचार विमर्श करना चाहेंगे व इसे यदि आवश्यकता हुई तो अगली बैठक में रखेंगे। इसे स्वीकार किया गया।

11- वर्ष-1975-76 तथा 1976-77 के पक्के चिट्ठों के हिन्दी रूपान्तर का कार्य अविलम्ब पूर्ण किया जाये और यह सुनिश्चित किया जाय कि अक्टूबर-1983 के अन्त तक इन वर्षों के पक्के चिट्ठों की प्रतियां विधान मण्डल के पटल पर रखने हेतु शासन को भेज दी जायें।

12- मूलधन एवं ब्याज की गणना अलग अलग करके प्रविष्ट करने के संदर्भ में ज्येष्ठ लेखाधिकारी ने परिषद को अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष-1981-82 तक के मूलधन एवं ब्याज की गणना लखनऊ की राजाजीपुरम् एवं इन्दिरानगर योजनाओं तथा मेरठ और बरेली की कुछ सम्पत्तियों को छोड़कर शेष में पूरा हो गया है तथा वर्ष-1982-83 का कार्य सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में परिषद ने निर्णय लिया कि नगरवार जितनी सम्पत्ति आवंटित की गयी है उनमें से कितने की मूलधन एवं ब्याज की गणना कर ली गयी है तथा कितनी का अवशेष है और वह कब तक पूर्ण हो जाएगी इसका पूर्ण विवरण परिषद की अगली बैठक में रखा जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि चालू वित्तीय वर्ष के लिये ब्याज तथा मूलधन की गणना साथ साथ की जाये जो प्रत्येक माह के

1	2	3	4
			अन्त तक अवश्य पूरी हो जाये।
			13- लेखा मेनुअल तैयार करने के सम्बन्ध में यह बताया गया कि इस कार्य को करने के लिये कई आफर प्राप्त हुये है। यह भी बताया गया कि लेखा मेनुअल का कार्य हडको भी करने के लिये तैयार है। चूँकि हडको ने कुछ अन्य प्रदेशों के आवास परिषदों के लेखा मेनुअल तैयार करने का कार्य किया है, अतः यह उचित पाया गया कि हडको से भी लेखा मेनुअल तैयार कराने के लिये आफर मांग लिया जाये।
			14- जौनपुर में परिषद की योजना हेतु अधिग्रहीत भूमि के संदर्भ में विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अधिगृहीत भूमि पर योजना न चला कर अन्य कोई उपयुक्त भूमि अधिगृहीत की जाय। अधिगृहीत भूमि को भूस्वामियों को वापस करने के लिये विधि परामर्श की राय लेकर अग्रिम कार्यवाही शासन के आदेश प्राप्त कर ली जाय।
3- बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विचार।	षष्ठम/(3)/83		बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विचार विमर्श हुआ और निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-
			1- वर्ष-1983-84 के निर्धारित भूमि अर्जन के लक्ष्य के सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया और परिषद ने निर्णय लिया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाय ताकि भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही और अधिक प्रभावी ढंग से की जा सके। आवास आयुक्त व्दारा बताया गया कि वर्तमान समय में भूमि अध्याप्ति के कार्य हेतु स्वीकृत 3 इकाईयों में से केवल एक इकाई में भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यरत है और दो अतिरिक्त इकाईयों के सृजन का मामला शासन स्तर पर काफी दिनों से विचाराधीन है। परिषद ने निर्णय लिया कि रिक्त पदों को शीघ्र ही भरने हेतु नियुक्तियाँ करायी जायें और दो विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारियों के पदों के सृजन के सम्बन्ध में लम्बित कार्यवाही व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके पूरी करायी जाये।
			2- बैठक में बतलाया गया कि वित्तीय वर्ष-1983-84 में 802.94 एकड़ भूमि पर विकास कार्य करने का लक्ष्य था जिसके विरूद्ध माह अगस्त, 1983 तक केवल 53 एकड़ भूमि पर विकास कार्य पूरा हो पाया है और 720.95 एकड़ भूमि पर कार्य प्रगति पर है। उक्त प्रगति को असन्तोषजनक पाते हुये परिषद ने निर्णय लिया कि भूमि विकास हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाये। आवास आयुक्त ने यह भी बताया कि इसमें मुख्य कठिनाई यह है कि धारा-17 के अन्तर्गत प्राप्त कब्जे के पश्चात् भी काश्तकार भूमि पर तब तक कार्य नहीं करने देते है जब तक प्रतिकर वितरण का कार्य नहीं हो जाता है। प्रतिकर निर्धारित वितरण की गति वि0 भू0अ0 की कमी के कारण बहुत धीमी रही है। रिक्त पदों के भर जाने और नए पदों के सृजन के पश्चात् ही कार्य में गति आने की आशा है।
			3- बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-1983-84 में 10500 दुर्बल आय वर्ग/साइट एण्ड सर्विसेज के निर्माण का कार्य किया जाना था जिसके विरूद्ध माह अगस्त, 1983 तक केवल 386 भवन पूर्ण किये गये तथा 1107 भवन प्रगति पर रहे। इस स्थिति

1	2	3	4

पर परिषद ने बहुत असन्तोष व्यक्त किया। बैठक में बताया गया कि अवशेष 9107 भवनों में से 7427 भवन ऐसे हैं जिनका निर्माण कार्य विभिन्न योजनाओं को भूमि का प्रतिकर न बंट सकने अथवा भूमि पर उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश होने के कारण प्रारम्भ नहीं किये जा सके हैं। यह भी बताया गया कि अभिनिर्णय बनाने तथा प्रतिकर बाँटने में असाधारण विलम्ब होने के कारण काश्तकारों द्वारा निर्माण एवं विकास कार्य प्रारम्भ कराने पर अवरोध उत्पन्न किया जाता है। आवास आयुक्त ने बताया कि शासन से उन्होंने अनुरोध किया है कि परिषद के क्षेत्रीय स्टाफ को कब्जाशुदा भूमि पर कार्य करने के लिए आवश्यक पुलिस तथा प्रशासनिक सहायता उपलब्ध करायी जाये ताकि योजनाओं में शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सके।

यह भी निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में हुई प्रगति से परिषद की अगली बैठक में अवगत कराया जाये ताकि आवश्यक होने पर वास्तविक स्थिति के अनुसार लक्ष्य पुनरीक्षित किये जा सकें।

4- परिषद लेखों के समायोजन के सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि अभी तक इस प्रक्रिया को सैद्धान्तिक रूप से कोई प्रगति नहीं हुई और इस पर गहरा असंतोष प्रकट किया गया। ज्येष्ठ लेखाधिकारी ने भारतीय स्टेट बैंक के खातों के मिलान की प्रगति का विवरण उपलब्ध कराया। शेष बैंकों के खातों के बारे में वह स्थिति स्पष्ट नहीं कर सके। परिषद ने निर्णय लिया कि उन सभी बैंकों की सूची बना ली जाये जिनमें परिषद का खाता है। तदोपरान्त प्रत्येक बैंक से लेखा समायोजन करने हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाये और तदनुसार कार्य युद्ध स्तर पर किया जाये और अद्यावधिक प्रगति की स्थिति से परिषद को अगली बैठक में अवगत कराया जाये।

ज्येष्ठ लेखाधिकारी ने यह बताया कि कुछ बैंकों के पूरे अभिलेख परिषद में उपलब्ध नहीं हैं जिससे लेखों के समायोजन में कठिनाई हो रही है तथा इस कार्य में बैंकों द्वारा वांछित सहयोग नहीं मिल रहा है। परिषद ने निर्णय लिया कि जिन बैंकों से वांछित सहयोग नहीं मिल पा रहा है उसकी सूची आवास आयुक्त महोदय को तत्काल उपलब्ध करायी जाये ताकि वे सम्बन्धित बैंकों के उच्च अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके अथवा पत्राचार करके और यदि आवश्यक हुआ तो उनकी बैठक बुलाकर इस कार्य में उनका सहयोग दिलवा सकें।

5- वर्ष-1977-78 से 1982-83 तक की लम्बित बैलेंसशीट बनाने हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाये तथा उसके अनुसार बैलेंसशीट बनवाकर उसका शीघ्र सम्परीक्षण कराने का निर्णय लिया गया।

षष्ठम/(4)/83

4- परिषद द्वारा प्रदिष्ट सम्पत्ति के प्रदिष्टी की मृत्यु के पश्चात् संपत्ति को उसके उत्तराधिकारियों के पक्ष में करने के संबंध में विनियम-42 में संशोधन।

परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जिला न्यायाधीश के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के प्राविधान को समाप्त न किया जाये किन्तु जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करने की वर्तमान सीमा को रु० 20,000/= से बढ़ाकर रु० 25,000/= कर दी जाये।

1	2	3	4
5- परिषद की राजाजीपुरम योजना के सेक्टर-13 में सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय को आवंटित की गयी भूमि के सम्बन्ध में परिषद के लिये व्याख्यात्मक टिप्पणी।	षष्ठम/(5)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
6- सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1, उदयं (क्षेत्रफल 3। एकड़ अनुमानित लागत रु0 33.29 लाख) के सम्बन्ध में।	षष्ठम/(6)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
7- शाहपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-7 गोरखपुर में समाविष्ट श्रीमती वैधा बागेश्वरी देवी द्वारा संचालित श्रीमती इन्दिरा गाँधी धर्मार्थ औषधालय गोरखपुर की भूमि को आवेदिका से नियमानुसार धनराशि जमा करवाकर योजना में समाविष्ट/ आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	षष्ठम/(7)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि श्रीमती वैधा बागेश्वरी देवी द्वारा आवेदित भूमि उन्हें व्यवसायिक दर पर नकद भुगतान पर शासन के संविक्षण अनुसार आवंटित कर दी जाये।
8- वर्ष-1982-83 के लिये सुलभ शासनादेश सं0-4 जी0आई0-47/दस-82-59-81 लखनऊ दिनांक 9 नवम्बर-1982 के अनुक्रम परिषद कर्मचारियों/अधिकारियों की सी0पी0एफ0 खाते में दिये जाने वाले व्याज की दर के सम्बन्ध में।	षष्ठम/(8)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की।
9- डा0अम्मार रिज़वी माननीय मंत्री जी सा0नि0संसदीय कार्य एवं राष्ट्रीय एकीकरण को आवंटित भवन सं0-ए0-475 के अन्तरण के सम्बन्ध में।	षष्ठम/(9)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
10- उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित भवनों/भूखण्डों/ दुकानों के आरक्षण में समाज के विशिष्ट वर्गों के सम्बन्ध में जारी पूर्व शासनादेश की संशोधन।	षष्ठम/(10)/83	परिषद को शासन के संदर्भित निर्णय की जानकारी करायी गयी।
11- हडको वित्त पोषित द्वितीय हडको कम्पोज़िट प्रोजेक्ट, इन्दिरानगर विस्तार, लखनऊ।	षष्ठम/(11)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
12- हडको वित्त पोषित द्वितीय हडको कम्पोज़िट प्रोजेक्ट, इज्जतनगर बरेली (स्कीम सं0-2679)।	षष्ठम/(12)/83	परिषद ने विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
13- श्री दामोदर शर्मा, विधायक, को परिषद की शास्त्रीनगर आवासीय योजना, मेरठ के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग भवन सं0-एल0-159 नकद पद्धति पर प्रदिष्ट किया जाना।	षष्ठम/(13)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यदि श्री दामोदर शर्मा, विधायक के पास पहले से मेरठ में कोई आवासगृह/भूखण्ड न हो तो उन्हें परिषद की शास्त्रीनगर आवासीय योजना, मेरठ में मध्यम आय वर्ग का भवन सं0-एल0-159 नकद क्रय पद्धति पर प्रदिष्ट कर दिया जाये।

1	2	3	4
14-	गृह उद्योग मेटल क्राफ्ट सहकारी समिति को मुरादाबाद को लाजपत नगर गृहस्थान योजना के आवंटन के संदर्भ में।	षष्ठम/(14)/83	परिषद व्दारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
15-	देहली मार्ग एवं हिण्डनकट के मध्य भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3, गाजियाबाद (क्षेत्रफल 2127 एकड़ लगभग एवं अनुमानित लागत 59.63 करोड़)	षष्ठम/(15)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
16-	मुंडोला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-4) (भाग-I (मुरादाबाद) क्षेत्रफल 215 एकड़ अनुमानित लागत रु0 483.46 लाख)	षष्ठम/(16)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
17-	हिल्टनलेन स्थित बहुखण्डीय कार्यालय भवन हेतु विस्तार योजना।	षष्ठम/(17)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया।
18-	हडको वित्त पोषित द्वितीय हडको कम्पो0 प्रोजेक्ट स्कीम नं0-2 प्रतापगढ़(स्कीम नं0-2648)।	षष्ठम/(18)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
19-	दमदमाकोठी, मुरादाबाद में हडको वित्त पोषित द्वितीय हडको उच्च आय वर्ग परियोजना (स्कीम नं0-2675)	षष्ठम/(19)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
20-	हडको वित्त पोषित कम्पो0 प्रोजेक्ट सिकन्दरा आगरा (स्कीम नं0-2677)	षष्ठम/(20)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
21-	''आवास आयुक्त के आदेश सं0-2148/प्रशा0-एक-693 दि0 1-9-81 के विरुद्ध श्री बच्चा पाण्डे, अवर अभियन्ता के व्दारा प्रेषित पुनरावेदन (अपील) दि0 25-1-82 के संबंध में।	षष्ठम/22)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि परिषद के अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में इस अपील पर विचार करने हेतु एक उप-समिति गठित कर दी जाये जिसमें आवास सचिव के प्रतिनिधि तथा वित्त सचिव के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में भाग लेंगे। उप समिति प्रस्तुत पुनरावेदन पर विचार कर के अपनी आख्या परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत करेगी।
22-	परिषद में लेखपाल पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों की निर्धारित आयु एवं न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।	षष्ठम/(22)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
23-	परिषद व्दारा सहकारी निरीक्षक वर्ग-I का पदनाम सहकारी अधिकारी आवास'' की भाँति सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 का पदनाम''सहकारी अधिकारी आवास'' की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	षष्ठम/(23)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
24-	श्री राम प्यारे पुत्र श्री मनोगी हरिजन को इन्दिरा नगर में भवन प्रदेशन के सम्बन्ध में।	षष्ठम/(24)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि श्री राम प्यारे पुत्र श्री मनोगी जो अनुसूचित जाति के हैं को परिषद को इन्दिरा नगर योजनान्तर्गत कोई अवशेष दुर्बल आय वर्ग भवन आवंटित कर दिया जाये।

1	2	3	4
25-	श्री उमाकान्त को प्रदिष्ट भवन सं0-68 माल एवेन्यू के मल्यांकन तथा व्याज के सम्बन्ध में पुनर्विचार हेतु टिप्पणी।	षष्ठम/(25)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से परिषद की पूर्व बैठक दि0 15-9-1982 में श्री उमाकान्त को प्रदिष्ट भवन सं0-68 माल एवेन्यू के स्वीकृत मूल्यांकन पर पुनर्विचार करते हुये निर्णय लिया गया कि उनको आवंटित भवन का मूल्यांकन अन्य ऐसे भवनों के अनुरूप 1, 23, 702/= रहेगा किन्तु उन परिस्थितियों में जब कि अन्तिम मूल्यांकन 22-2-1980 को किया गया है। श्री उमाकान्त से दि022-2-1980 से ही व्याज/दण्ड व्याज लिया जायेगा।
26-	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद द्वारा निर्मित आवासीय सम्पत्तियों के पंजीकरण एवं प्रदेशन सम्बन्धी विनियम-1979 में संशोधन/संवर्धन के सम्बन्ध में।	षष्ठम/(26)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि तदनुसार पंजीकरण एवं प्रदेशन सम्बन्धी विनियम-1979 में संशोधन एवं संवर्धन शीघ्र कर लिया जाये।
27-	परिषद की योजनाओं में सार्वजनिक सुविधाओं के रखरखाब हेतु शुल्क निर्धारण।	षष्ठम/(27)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
28-	सिविल लाइन्स योजना सं0-1 रामपुर में परिषद खण्ड से 10 अल्प आय वर्ग के एल0-4/79 प्रकार के भवनों का निर्माण	षष्ठम/(28)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
29-	विभागीय निर्माण इकाईयों को कार्यखण्डों में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।	षष्ठम/(29)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जैसा कि मद सं0-2 के क्रमांक-10 में अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में एक उप समिति गठित की गयी एतदर्थ परिषद द्वारा गठित उक्त उप समिति इस मद पर विचार करके अपनी आख्या परिषद की अगली बैठक में रखेगी।
30-	पंजीकरण पुनर्जीवित करने हेतु विनियम में संशोधन।	षष्ठम/(30)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि किन्हीं विशेष मामलों में आवास आयुक्त यह पाते हैं कि कुछ विशेष कारणों से कोई आवंटी समय से सम्पत्ति के निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र नहीं दे पाता है तो अपने विवेक पर बिना कटौती किये निरस्तीकरण के आदेश दे सकते हैं।
31-	देहरादून में राजपुर रोड पर ग्राम-दाकपट्टी में राजपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3, देहरादून की धारा-28 हेतु प्रस्ताव व प्राक्कलन।	षष्ठम/(31)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
32-	हल्द्वानी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3 की धारा-28 हेतु प्रस्तावित एवं प्राक्कलन।	षष्ठम/(32)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
33-	सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 (पार्ट-2) रामपुर की धारा-28 हेतु प्रस्तावित एवं प्राक्कलन।	षष्ठम/(33)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

1	2	3	4
34-	श्री पन्ना लाल श्रीवास्तव को राजाजीपुरम योजना में उच्च आय वर्ग के भवन का इन्दिरा नगर योजना में परिवर्तन।	षष्ठम/(34)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि श्री पन्ना लाल श्रीवास्तव, सेवा निवृत्त राजकीय पुलिस अधिकारी को विशेष परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप उन्हें राजाजीपुरम योजना में आवंटित उच्च आय वर्ग भवन सं0-सी0-1595 के बदले परिषद की इन्दिरा नगर योजनान्तर्गत कोई अवशेष रिक्त भवन नकद क्रय पद्धति पर आवंटित कर दिया जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद की अनुश्रवण समिति की अगली बैठक दिनांक 10-11-1983 को प्रातः 10-30 बजे तथा परिषद की बैठक दिनांक 11-11-1983 को प्रातः 10-30 बजे मुख्यालय पर होगी।

बैठक अध्यक्ष महोदय को आभार प्रकट करते हुये समाप्त की गयी।

—

पुष्टि की गयी

11/11/1983

अध्यक्ष